न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

अनवान इसमा बीबी बनाम इमरान खां आदि
एवं इसमा बीबी आदि बनाम आलम खां आदि

ल अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट

2023/131 एवं 2023/174

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
20.10.2023	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। अपील सं0 2023/131 एवं अपील सं0 2017/00328 दोनों अपीलों में वर्णित पक्षकार समान होने एवं वर्णित भूमि भी एक ही होने के कारण इनका निर्णय एक साथ निर्णय किया जा रहा है। अपीलाण्ट के अधिवक्ता का अपनी बहस में कथन है कि प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में रेस्पोडेण्ट ने निगरानी प्रस्तुत की थी जो स्वीकार की जाकर अपील में अन्तिम निर्णय के साथ मियाद के बिन्दू को निर्धारित करने के निर्देश दिये हैं अर्थात माननीय राजस्व मण्डल अजमेर श्री मान न्यायालय में प्रस्तुत अपील को विधि सम्मत माना है इसिलए रेस्पोडेंट अन्तरिम आदेश के विरूद्ध अपील न होने की आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकता। विचारण न्यायलाय ने अपीलाण्ट के विरूद्ध एकतरफा स्थगन आदेश जारी किया है। अपीलाण्ट को स्थगन जारी करने से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया इसलिए जानकारी से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। दोनों अपीलें में रेस्पोडेंट ने मौखिक हिबा के आधार पर दावा प्रस्तुत किया है जबकि विचारण न्यायालय ने मौखिक हिबा के संबंध में बिना कोई जांच किये स्थगन आदेश दिया है। इसलिए अपीलाण्ट विरासतन इन्तकाल दर्ज करने का अधिकारी है तथा अपीलांटा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी माफ करवाने की अधिकारी है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2016 (2) आरआरटी 1391, आरआरटी 2014–15 (540) पेज 712, डीएनजे 2014 (2) पेज 826, डीएनजे 2014 राज (1) पेज 35, आरआरटी 2011–12 सुप. पेज 330, डीएनजे 2015 (II) एससी पेज 592, आरआरडी 2002 एचसी पेज	

20/10/23

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

648 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

प्रश्नगत चक 8 आर.पी. व चक 9 आर.पी. की कुल 9.2110 है0 भूमि अपीलाण्ट की पैतृक हक हिस्सा की भूमि है, जिसमें अपीलांट अपने पिता के फौत होने के बाद विरास्तन हक हकूक रखती है, उक्त हक हकूक की हद तक खातेदार काश्तकार है किन्तु अपीलाण्ट के हिस्सा पर अस्थाई निषेधाज्ञा एकतरफा जारी कर अहम कानूनी भूल की है जो कि कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने के कारण काबिले खारिजी के है। अपीलांट के पिता ने कभी भी रेस्पोडेण्ट के पक्ष में हिब्बा निष्पादित नहीं किया था। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश खारिज फरमाया जावे।

रेस्पोडेण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि अभी भी अब्दुल सतार के नाम दर्ज है रेस्पोडेण्ट मुताबिक मौखिक हिब्बा भूमि राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवाने पर उतारू है व अप्रार्थी सं0 1, व 2 ता 6 प्रार्थी को उसके हिस्सा से बेदखल करने पर उतारू है जबकि रेस्पो0 सं0 1 अब्दुल सतार की पत्नी होने के कारण उसका हिस्सा बनता है। अप्रार्थी कूटरचित मौखिक हिब्बा की आड़ में प्रार्थीया के प्रति अब्दुलसतार के नाम दर्ज भूमि अकेले अपने नाम करवाना चाहते है। भूमि का विभाजन करवाये बिना अन्य व्यक्तियों को रहन बैय कर वादी को बेदखल करना चाहते हैं इस कारण अधीनस्थ न्यायालय ने स्थगन आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश एक अंतरिम आदेश है, जिसके विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अपील सं0 2023/131 अनवान इसमा बीबी आदि बनाम इमरान खां आदि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 16.05.2022 के विरूद्ध दिनांक 01.06.2023 को पेश की गई थी । अपील दर्ज करते हुए अधीनस्थ न्यायलाय के आदेश की क्रियान्विति को स्थगित किया गया था। न्यायालय हाजा के आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी सं0 2864/2023 अनवान इमरान खां बनाम रजब अली पेश की गई। माननीय

20/10/23

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 11.07.2023 में यह आदेश दिया कि सभी पक्षकारों की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र का निस्तारण करें। तत्पश्चात् दो माह में प्रकरण का निस्तारण करें।

अपील सं0 2023/131 एवं अपील सं0 2017/00328 दोनों अपीलों में वर्णित पक्षकार समान होने एवं वर्णित भूमि भी एक ही होने के कारण इनका निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील सं0 2023/131 अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

प्रस्तुत अपील सं0 2023/131 अनवान इसमा बीबी बनाम इमरान खां आदि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 16.05.2022 के विरूद्ध पेश की गई है, तथा अपील 2023/174 अनवान इसमाबीबी आदि बनाम आलमखातून अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 06.06.2023 के विरूद्ध पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की दोनों पत्रावलियों में जो आदेश पारित किये गये हैं वे अंतरिम आदेश है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की निगरानी सं0 3703/2023 अनवान करनैल सिंह बनाम जगदीश सिंह में पारित आदेश दिनांक 21.08.2023 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अंतरिम आदेश की अपील पोषणीय नहीं है। उक्त न्यायिक दृष्टान्त के आलौक में यह अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत हाने के कारण पोषणीय नहीं है इसलिए खारिज किये जाने योग्य है।

उक्त दोनों अपीलें खारिज की जाती हैं। पत्रावली नंबर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

20/10/23

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner